भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2363

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

पोषण अभियान के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियाँ

2363. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोषण अभियान के तहत देश में कुपोषित बच्चों की संख्या कम करने में कोई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक उक्त अभियान के तहत प्राप्त प्रमुख परिणामों और प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई राज्यों में बच्चों के कुपोषण की स्थिति अभी भी अत्यंत गंभीर बनी हुई है;

(घ) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) उन राज्यों में पोषण की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): मंत्रालय, कुपोषण की चुनौती का समाधान करने के लिए, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यान्वित कर रहा है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, जिसे मिशन पोषण 2.0 के नाम से भी जाना जाता है, के अंतर्गत व्यापक आंगनवाड़ी सेवाओं के विभिन्न घटक, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 14-18 वर्ष) के लिए योजना को शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। इस मिशन देश में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, प्रसव के बाद 6 महीने तक स्तनपान कराने वाली माताओं और उत्तर-पूर्वी राज्यों और आकांक्षी जिलों में किशोरियों (14-18 वर्ष आयु) को शामिल किया जाता है। यह मिशन देश के सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

मिशन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- देश में मानव पूंजी के विकास में योगदान देना;
- कुपोषण की चुनौती का समाधान;
- स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखने हेतु पोषण संबंधी जागरूकता तथा खानपान की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न चरणों और पोषण ट्रैकर से प्राप्त कुपोषण संकेतकों (5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन और अल्प वजन) के आंकड़ों में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण (महाराष्ट्र)	ठिगनापन **%**	दुबलापन **%**	अल्प वजन **%**
एनएफएचएस-1 (1992-93)*	47	32.7	27.6
एनएफएचएस-2 (1998-99)**	47.1	44.8	23.6
एनएफएचएस-3 (2005-06)***	44.0	47.3	17.2
एनएफएचएस-4 (2015-16)***	34.4	36	25.6
एनएफएचएस-5 (2019-20)***	35.2	36.1	25.6
महाराष्ट्र (पोषण ट्रैकर, जनवरी 2026)	26.85	10.51	2.57
भारत (पोषण ट्रैकर, जनवरी 2026) ***	31.38	13.12	4.36

*4 वर्ष से कम, ** 3 वर्ष से कम, *** 5 वर्ष से कम

पोषण ट्रैकर पर महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिलावार और राज्यवार आंकड़ें https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध हैं:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पोषण स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

- कुपोषण की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए खाद्य, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता और शिक्षा जैसे आयामों को शामिल करते हुए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने हेतु 18 से अधिक मंत्रालयों/विभागों के बीच व्यापक समन्वय सुनिश्चित किया गया है।
- मिशन पोषण 2.0 के तहत, बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है। यह पूरक पोषण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में दिए गए पोषण मानदंडों के अनुसार दिया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित और उन्नत किया गया है। पुराने मानदंड ज़्यादातर कैलोरी-आधारित थे; जबकि संशोधित मानदंड, आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित हैं और पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जिनमें गुणवत्ता वाले प्रोटीन, लाभदायक वसा और 7 आवश्यक

सूक्ष्म पोषक तत्वों (कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहार फोलेट, विटामिन ए, विटामिन-बी 6 और विटामिन बी-12) का प्रावधान है।

- इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने और सूक्ष्म-पोषक तत्वों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल दिया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाने वाला राशन तैयार करने के लिए हफ़्ते में कम से कम एक बार मिलेट्स (श्री अन्न) के इस्तेमाल पर अधिक ज़ोर दिया जाता है।

- पोषण ट्रैकर के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का उपयोग बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन और अल्पवजन की व्याप्तता का निरंतर पता लगाने के लिए किया जा रहा है। इससे आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्रों का खुलना, बच्चों की दैनिक उपस्थिति ईसीसीई गतिविधियाँ, बच्चों की वृद्धि की निगरानी, पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम)/घर ले जाने वाला राशन (टीएचआर) उपलब्ध कराना, वृद्धि मापन आदि के लिए लगभग तत्समय (रियल टाईम) आंकड़ों का संग्रह संभव हो पाया है।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरक पोषण प्रदायगी में पारदर्शिता, कुशलता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पोषण ट्रैकर के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन, कर्तव्य धारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व, खरीद प्रक्रिया, आयुष अवधारणाओं का एकीकरण और आंकड़ों के प्रबंधन एवं निगरानी संबंधी सुव्यवस्थित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। पूरक पोषण के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की पोषण स्थिति और गुणवत्ता मानकों की निगरानी राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर की जा रही है।

- मंत्रालय ने 12 सितंबर 2022 की अधिसूचना के माध्यम से एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण (2.0), नियम 2022 जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माता के लिए प्रसव के बाद छह महीने तक और छह महीने से छह वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे के लिए निर्दिष्ट अधिकारों को विनियमित किया गया है।

- चलाई जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में से एक सामुदायिक जुटाव और जागरूकता प्रचार है, जिसका उद्देश्य लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं पर शिक्षित करना है, क्योंकि पोषण की अच्छी आदत को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर एवं मार्च-अप्रैल के महीनें में मनाए जाने वाले पोषण माह तथा पोषण पखवाड़ा के दौरान जन-आंदोलन के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण क्रियाकलाप कर रहे हैं और उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में कार्य किया है तथा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों से हर महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने की अपेक्षा की गई है।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किये गये प्रधानमंत्री जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों का लक्षित विकास करना

है। यह मिशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण कार्यकलापों पर केंद्रित है। 30 नवंबर 2025 तक, देश भर में कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और महाराष्ट्र राज्य में 178 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी ब्लॉक के अनुसूचित जनजाति गांवों में जनजातीय परिवारों को पूरी तरह शामिल करके जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान (डीएजेजीयूए) आरंभ किया है।

*****